रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73 REGISTERED NO D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1976 (आषाढ 19, 1898)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1976 (ASADHA 19, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	449
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1117
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	81
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	933
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1855
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2379
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	241
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5849
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	587
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	47
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1567
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	111

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	499
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1117
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	81
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	933
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1855
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2379
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	241
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5849
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	587
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	47
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1567
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	111

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1976

सं० 48-प्रेज०/76—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अशोक कुमार राय,
पुलिस उप निरीक्षक,
आसनसोल,
पश्चिम बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

25 अक्तूबर, 1974 की रात्रि को, श्री अशोक कुमार राय के नेतृत्व में एक पुलिस टुकड़ी ने एक अपराधी तथा उसके साथियों को, जिनकी पुलिस को तलाश थी, पकड़ने के लिये ऊषाग्राम के एक मकान पर छापा मारा। अपराधियों ने निकटवर्ती गली में शरण ली और पुलिस टुकड़ी पर बम फेंके। बम द्वारा किये गये हमलों की परवाह न करते हुए श्री राय अपराधियों को पकड़ने के लिये आगे बढ़े। परन्तु श्री राय पर एक और बम फेंका गया जिसके फलस्वरूप उनके शरीर पर चोटें आईं। तब श्री राय ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई और अपराधी को घायल कर दिया। इस पर अपराधी ने श्री राय पर एक खंजर से हमला कर दिया। श्री राय अपराधी से भिड़ गये और अन्त में उसे एक साबुत बम व छुरे के साथ गिरफ्तार कर लिया।

इस प्रकार श्री अशोक कुमार राय ने उत्कृष्ट साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमवली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 25 अक्तूबर, 1974 से दिया जायेगा।

सं० 49-प्रेज/76—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वेद प्रकाश,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना अधिकारी,
थाना संघना,
जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

3 सितम्बर, 1971 को जिला सीतापुर के इनायतपुर गांव में कुछ कुख्यात डाकुओं की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। पुलिस उप निरीक्षक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में एक पुलिस दल डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा गया। पुलिस दल जब उस मकान में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा था जहां डाकू ठहरे थे, तो उन्हें पुलिस की उपस्थिति का संदेह हो गया और वे गोली चलाते हुए मकान के अंदरुणी भाग में चले गए। फिर भी, पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। दो डाकुओं को छिपते देख कर श्री वेद प्रकाश मकान की छत पर चढ़ गये तथा उस कमरे की छत में सुराख कर लिया जहां डाकू छिपे थे। इस सुराख से गोलियां चलाई गई। जिससे डाकू बौखला गए और वे अन्धाधुन्ध गोली चलाते हुए कमरे से बाहर निकले। उत्कृष्ट साहस तथा सूझबूझ का परिचय देते हुए श्री वेद प्रकाश डाकुओं पर काबू पाने के लिये छत से आंगन में कूद पड़े। गोली बारी की झड़प में दोनों डाकू मारे गये।

इस मुठभेड़ में श्री वेद प्रकाश ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 3 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 50-प्रेज०/76—राष्ट्रपति पूर्वी रेलवे के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री देवराज सोरेन,
रक्षक संख्या 1947,
सी० एण्ड टी० ई० कम्पनी, पूर्वी रेलवे।
आसनसोल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

22 जून 1975 को रक्षक देवराज सोरेन की रक्षक परमा सिंह के साथ अन्दाल से राम पुरहाट जाने वाली रेलगाड़ी की

सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। अन्दाज से रेलगाड़ी बाद दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर चली। लेकिन थोडी ही देर में कुछ बदमाशों द्वारा होज पाईप के अलग कर दिये जाने तथा वैक्यूम गिरा देने के कारण गाड़ी रोकनी पडी। जब रेलगाड़ी रुक गयी तो रक्षक देवराज सोरेन और परमा सिंह नीचे उतरे और कोयले से लदे रेल के डिब्बों की ओर दौडे। उन्होंने रेल के दोनों तरफ 10-15 बदमाशों को देखा जो डिब्बे में से कोयला निकालने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ललकारा। और अपराधियों के दल ने रक्षकों पर हमला कर दिया और रक्षक देवराज सोरेन से बन्दूक छीनने का प्रयास किया। हाथापाई में अपराधी रक्षक देवराज सोरेन की जांघ पर बन्दूक का घोड़ा दबाने तथा गोली से उनको घायल करने में सफल हो गये परन्तु घायल होने के बावजूद वे बहादुरी से लड़ते रहे और हमलावरों द्वारा हथियार छीनने का प्रयास विफल कर दिया और साथ ही उनमें से एक को मार गिराया।

इस प्रकार श्री देवराज सोरेन ने अनुकरणीय साहस तथा कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 जून, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 51-प्रेज०/76—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सुखदेव सिंह,
उप-निरीक्षक सं० 69/पी० आर०
पंजाब। (स्थानापन्न)

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

21 सितम्बर, 1973 को दो दुराचारी 9 वर्ष की एक लड़की को फुसला कर ले गये तथा उसके साथ बलात्कार करने के बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। जबकि पुलिस जांच चल रही थी, उनमें से एक का पिता दो अन्य बदमाशों के साथ 1/2 अक्तूबर, 1973 की रात को एक कार में मृतक लड़की के मकान पर गया तथा लड़की के रिश्तेदारों को आतंकित करने के उद्देश्य से अपने मकान पर गोली चलानी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक सुखदेव सिंह पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर पहुचे। उन्होंने बदमाशों को चेतावनी दी तथा उन्हें आत्म समर्पण करने के लिये कहा। चेतावनी की उपेक्षा करते हुए बदमाशों ने पुलिस दल पर गोली चलाई। बदमाशों हथियारों से पूरी तरह लैस थे किन्तु श्री सुखदेव सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंगकर आगे बढ़े तथा कार के पीछे जाकर उन्होंने मोर्चा सम्भाला। उप-निरीक्षक को अपनी ओर आते देखकर दुराचारी के पिता ने उन पर गोली चलाई। उप निरीक्षक ने भी जवाब में दो गोलियां चलाई जिससे उसे वहीं मार गिराया। वह एक कुख्यात व्यक्ति था जिसकी पुलिस को 1954 से तलाश थी।

इस प्रकार श्री सुखदेव सिंह ने अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अक्तूबर, 1973 से दिया जायेगा।

कृ० बालचन्द्रन्, राष्ट्रपति के सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1976

सं० बी० 11012/1/70-एन० एस० एस०-II (खण्ड-II)—सांख्यिकी विभाग की दिनांक 5 मई, 1972 की अधिसूचना सं० बी-11012/1/70-एन० एस० एस०-II में आंशिक सुधार करते हुए एवं दिनांक 22 जून 1974 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1978 तक की अवधि के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्यकलाप का नियमन करने के लिए शासी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

1. डा० वाई० के० अलघ, सलाहकार, भावी योजना, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-110001।
2. श्री वी० वी० दिवातिया, सांख्यिकीय सलाहकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली-110001।
3. डा० के० बी० एल० भार्गव, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल-462001।
4. श्री जे० एन० शर्मा, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, असम सरकार, गोहाटी-781003।
5. डा० टी० एन० श्रीनिवासन, अनुसंधान प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 7, एस० जे० एस० सनसनवाल मार्ग, नई दिल्ली-110057।
6. डा० जे० राय, अनुसंधान प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203, बी० टी० रोड़, कलकत्ता-700035।
7. डा० आई० एस० गुलाटी, विकास अध्ययन केन्द्र, प्रशान्त हिल, आसकुलम रोड़, वेल्लोर, त्रिवेन्द्रम-595011।
8. डा० राज कृष्ण, कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007।

आर० एन० सक्सेना,
उप सचिव

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1976

संकल्प

सं० पी०-20012/1/76-पी० पी० डी०—रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई के डैपुटी गवर्नर, डा० के० एस० कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 16 मार्च 1974 के संकल्प द्वारा

स्थापित तेल मूल्य समिति (जिसको इसके पश्चात् ओ० पी० सी० कहा गया है) ने पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल तेल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल तेल की बिक्री पर डीलरो के कमीशन के बारे मे दिसम्बर 1975 में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और ओ० पी० सी० द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार मे अपना निर्णय निम्न प्रकार दिया है :—

2. पैट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर डीलर का कमीशन

2.1 ओ० पी० सी० ने सिफारिश की थी कि खुदरा डीलरो के कमीशन की दरों को मूल्य के आधार पर निर्धारित नही किया जाना चाहए अपितु रुपए प्रति किलो लिटर के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। डीलर का कमीशन इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उससे डीलरो को उचित लाभ प्राप्त हो। ओ० पी० सी० का यह विचार था कि सभी फुटकर पम्पों के लिए, उनकी बिक्री-स्तर पर ध्यान दिए बिना कमीशन की एक समान दर निर्धारित करना कम क्षमता वाले बिक्री केन्द्रों के हित के लिए हानिकारक होगा और साथ ही अधिक क्षमता वाले बिक्री केन्द्रों को अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा। अत: समिति ने नकद बिक्री को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बिक्री स्तर के केन्द्रों के लिए कमीशन के घटने-बढ़ने वाले दर की निम्न प्रकार सिफारिश की थी :—

वार्षिक बिक्री	रुपए प्रति कि० लि०	
पेट्रोल/एच० एस० डी० की एक साथ बिक्री	पेट्रोल	एच०एम०डी
360 किलो लिटर तक	80	50
361 से 720 लिटर तक	35	15
721 किलो लिटर और उससे अधिक	25	10

2.2 एक निश्चित स्थान के सभी फुटकर पम्पों पर (विभिन्न बिक्री के) दोनो उत्पादो के बिक्री मूल्यों में समानता को सुनिश्चित करने के लिए ओ० पी० सी० ने पेट्रोल के लिए 65/- रुपए प्रति किलो लिटर और एच० एस० डी० के लिए 40/- रुपए प्रति किलो लिटर के एक समान कुल कमीशन की सिफारिश की है जबकि 1954/55 से इन उत्पादों के लिए क्रमश: 41 80 रुपए और 17.60 रुपए प्रति किलो लिटर का कमीशन दिया जाता था।

2.3 उपरोक्त घटने-बढ़ने वाली दरों के अनुसार प्रत्येक फुटकर पम्प के डीलर को उसके अधिकृत कमीशन का वितरण करने के लिए तेल कम्पनियो को सक्षम बनाने हेतु ओ० पी० सी० ने सुझाव दिया था कि पेट्रोल के लिए 65/- रुपए प्रति किलो लिटर के कमीशन को दो भागों में बांटा जा सकता है अर्थात् 42/- रुपए प्रति किलो लिटर डीलर का कमीशन और 23/- रुपए किलो लिटर फुटकर पम्प अधिभार। इसी प्रकार एच० एस० डी० ओ० पर प्रति किलो लिटर 40/- रुपए के कुल कमीशन को 20/- प्रति किलो लिटर डीलर की कमीशन और 20/- रुपए प्रति किलो लिटर फुटकर पम्प अधिभार के रूप मे विभक्त किया जा सकता है इनमें से पेट्रोल के लिए 23/- रुपए और एच० एम० डी० ओ० के लिए 20/- रुपए प्रति किलो लिटर के फुटकर पम्प अधिभार को पहले तेल कम्पनियों के डिपो पर एम० एस/एच० डी० ओ० के शुद्ध मूल्य में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार तेल कम्पनियों द्वारा जमा राशि को अलग निधि में रखा जायेगा। दूसरा भाग, अर्थात् पेट्रोल के लिए प्रतिकिलो लिटर 42/- रुपए और एच० एस० डी० ओ० के लिए प्रति किलो लिटर 20/- रुपए को तब डीलरों द्वारा शामिल किया जाएगा और अन्तिम उपभोक्ता से एकत्र करके अपने पास रखा जाएगा। प्रत्येक माह के अन्त में पिछले माह (महीनों) के दौरान की गई सप्लाई के आधार पर डीलर की निश्चित हकदारी और उपरोक्त पैरा 2.1 में बताए गए घटते-बढ़ते दरों की गणना की जायेगी और डीलर द्वारा रखी गई राशि के अनुसार उसको देय राशि उसे दी जाएगी अथवा उससे ली जाएगी जैसा भी आवश्यक हो तथा उपरोक्त निधि से उसका समायोजन किया जाएगा।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

3. पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर कमीशन दरों मे संशोधन के साथ फुटकर डीलरों द्वारा लिए जाने वाले सेवा प्रभार को समाप्त कर दिया जाए। अत: सामान्य रूप में उपभोक्ता से लिए जाने वाले अन्तिम मूल्य में कोई वृद्धि नही होनी चाहिए। तेल मूल्य समिति ने सिफारिश की है कि पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल के बिक्री मूल्य के आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियंत्रित हों।

चूंकि पेट्रोल तथा हाइ स्पीड डीजल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों के माध्यम से की जाती है तथा मूल्य पर नियन्त्रण निरीक्षण, सप्लाई में कटौती डीलरशिप को रद्द करने आदि जैसे प्रशासनिक उपायों द्वारा लागू किया जा सकता है। स्थिति का पुनरीक्षण कुछ समय बाद किया जा सकेगा। इस बीच राज्य सरकार के प्राधिकारियों, संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा तेल कम्पनियों को इस बात के लिए निर्देश जारी किए जा रहे है कि मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए वे निरन्तर पूर्ण निगरानी रखें।

सरकार के निर्णयों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित तेल कम्पनी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी फुटकर बिक्रेता किसी अन्य फुटकर बिक्रेता के साथ उत्पादों को न तो बेच सकेगा अथवा न खरीद सकेगा अथवा न अदल-बदल कर सकेगा। सही आंकड़े रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक फुटकर पम्प के सम्बन्ध में फुटकर डीलर तेल कम्पनियों से पेट्रोल/हाई स्पीड डीजल की प्राप्ति एवं उनकी बिक्री के वार्षिक विवरण सम्बंधित अधिकारियों को अलग-अलग प्रस्तुत करें।

सरकार अपेक्षा करती है कि अब से सेवाओं की सीमा (काम करने के घण्टों सहित) को बनाए रखा जाय तथा फुटकर डीलरों द्वारा हवा एवं पानी शौचालय सुविधा,

सीमित प्रारम्भिक चिकित्सा सेवा, पेय जल तथा विंड स्क्रीन को साफ करने आदि जैसी सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था जारी रखी जाए।

4. तेल मूल्य समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें भी की है :—

(I) तेल उद्योग को डीलरों के परामर्श से लाइसेंस शुल्क वसूली का निरीक्षण करना चाहिए और लाइसेंस शुल्कों का विनिश्चयन करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का विकास किया जाना चाहिए। इस बीच विद्यमान डीलरों के लिए लाइसेंस शुल्कों का कानूनी वसूली और प्रभारों में संशोधन करने के कार्य को छोड़कर कम से कम दो वर्षों की अवधि (अर्थात् दिसम्बर 1977 के अन्त तक) के लिए विद्यमान स्तर पर ही रोक लगा दी जानी चाहिए।

(II) सिक्यूरिटी डिपोजिट के मामले में तेल कम्पनियां में कोई समानता नहीं है। ल्यूब बे के बिना सिक्युरिटी डिपाजिट किसी भी अवस्था में 1000/-रु० प्रति आउट लेट और ल्यूब बे सहित 1500/-रु० प्रति आउट लेट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मामलो के अतिरिक्त कोई भी अधिक राशि सार्वजनिक जमा के रूप में समझी जावेगी।

(III) ल्यूब आयल और ग्रीजो की बिक्री पर कुल गुंजाईश अधिकता की ओर है और उसे कम किए जाने की जरूरत है। ल्यूब पर 1200/- रु० प्रति किलो लि० और ग्रीजों पर 1500/- रुपए प्रति मैट्रिक टन की कुल गुजाईश पर्याप्त होगी।

(IV) कम हो जाने के भत्ते के बारे में कुछ तदर्थ वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। जब तक तेल समन्वय समिति द्वारा और ब्यौरो का हिसाब-किताब नहीं लगाया जाता है सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों को मान लिया है।

5. एस० के० ओ० और एल० डी० ओ० का० कमीशन

तेल मूल्य समिति ने एस० के० ओ० और एल० डी० ओ० के एजेण्टों/ थोक बिक्रेताओं/फुटकर बिक्रेताओं के लिए कमीशन सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धान्तों और अधिकतम सीमाओं की सिफारिश की है। विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं के लिए एस० के० ओ० और एल० डी० ओ० के बिक्री मूल्यों का यथाशीघ्र नियतन करने के वास्ते उनके मार्ग दर्शन हेतु समस्त राज्य सरकार प्राधिकारियो और सघ शासित प्रदेशों के प्रशासनो को निदेश के साथ उन सिद्धांतो और अधिकतम सीमा के सम्बन्धों में सूचना दी जा रही है कि एस० के० ओ० और एल० डी० ओ० के मूल्यो को किसी भी हालत में नही बढ़ाना चाहिए।

6. एम० एस० और एच० एस० डी० ओ० को कमीशन के सम्बन्ध में इसमे निहित निर्णय दिनांक पहली जुलाई, 1976 से लागू होगा और अगले आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों, सघ शासित प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन सामान्य की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० रामास्वामी
संयुक्त सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई, 1976

संकल्प

विषय:—कयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल की स्थापना।

सं० 25(30)/75-सी० एण्ड एस०—उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग के भारत सरकार के 5 अप्रैल, 1976 के संकल्प संख्या 25 (30)/75-सी० एण्ड एस० में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने श्री जे० अलेक्जेण्डर, अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अध्ययन दल के सदस्य सचिव के स्थान पर श्री जे० अलैक्जेण्डर, अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोचीन को सदस्य के रूप में तथा श्री वी० आनन्द, उप सचिव, उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को सदस्य-सचिव नियुक्त करने का निश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना तथा सभी को सूचित करने हेतु संकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 10 जून 1976

सं० 25(30)/75-सी० एण्ड एस०—उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के भारत सरकार के 5 अप्रैल, 1976 के संकल्प संख्या 25(30)/75-सी० एण्ड एस० में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार श्री जे० अलेक्जेण्डर अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अध्ययन दल के सदस्य-सचिव के स्थान पर श्री जे० अलेक्जेण्डर, अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोचीन को सदस्य के रूप में तथा श्री वी० आनन्द, उप सचिव, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त कर चुकी है।

भारत सरकार ने कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को शामिल करके कयर उद्योग के अध्ययन दल की सदस्यता और बढाने का भी निश्चय किया है :—

1. श्री के० एस० एन० मूर्ति, सदस्य
आयुक्त तथा सचिव (उद्योग) कर्नाटक सरकार।

2. तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना तथा सभी संबंधितों को सूचित करने हेतु संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० आनन्द,
उप सचिव

नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 1976

सं० ओ० 17011/1/75-जी०ओ०पी०—अधिसूचना सं० ओ० 17011/2/73-जी० ओ० पी०, तारीख 28 नवम्बर, 1974 के साथ पठित अधिसूचना सं० ओ० 17011/2/73-जी० ओ० पी० तारीख 16 मार्च, 1974, को, जो कि भारत के राजपत्र, भाग I खण्ड 1, तारीख 27 मार्च, 1974, और तारीख 5 दिसम्बर, 1974, में प्रकाशित हुई थीं, निम्नलिखित मात्रा तक उपांतरित/प्रवर्धित किया जाता है, जो कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. किसी थोक या केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी को या उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के राज्य परिसंघ को या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ को प्रतिभूत अग्रिमधनों की बाबत करारों के अतिरिक्त, भारत सरकार, किसी शिखर/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, के अधीन गठित किसी तत्समान नए बैंक के साथ, उनके द्वारा निम्नलिखित संस्थानों की भी दिये जाने वाले प्रतिभूति अग्रिमधनों की बाबत, करार करने पर विचार करेगी :—

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तर सहकारी परिसंघों की, इस बात को विचार में लाए बिना कि वे राज्य स्तर उपभोक्ता सहकारी परिसंघों या विपणन सहकारी परिसंघों या जनजाति सहकारी परिसंघों के रूप में अथवा किसी भी अन्य नाम से रजिस्ट्रीकृत हैं ; परन्तु इस प्रत्याभूति स्कीम के अन्तर्गत उनकी व्याप्ति, केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पूंजी अपेक्षाओं तक निर्बन्धित होगी ।

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में खुदरा कारबार में लगी हुई सभी सहकारी संस्थाओं का, जो किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत हों, और जिनका विक्रय आवर्त कम से कम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष है, तथा सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में ऐसी संस्थाओं की दशा में, जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त 25 लाख रुपये है ।

3. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, थोक या केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के राज्य स्तर परिसंघों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ और ऊपर पैरा 2(क) और (ख) में वर्णित अन्य सभी संस्थाओं को, ऐसे माल की गिरवी या अडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान और अन्य जंगम संपत्ति भी है, प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1 अप्रैल, 1979, से पूर्व, विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभात उधारों और अग्रिमधनों की बाबत ही उपलब्ध होगी । बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिमधनों पर केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखना है । किसी सोसाइटी को किसी ऐसे उधार या अग्रिमधन की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन देयता, निम्नलिखित राशियों में से जो भी कम हो, वहां तक सीमित होगी :—

(i) उस तारीख को जिसको करार के निबंधनों के अनुसार मांग की सूचना बैंक द्वारा जारी की जानी है, उस सहकारी सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया, सब प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिमधनों की रकम का 25 प्रतिशत :

अथवा

(ii) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की दशा में 75 लाख रुपये (पचहत्तर लाख रुपये), पैरा 2(क) में वर्णित सहकारी संस्थाओं सहित सभी राज्य स्तर परिसंघों की दशा में 50 लाख रुपये (पचास लाख रुपये), और पैरा 2(ख) में वर्णित सहकारी संस्थाओं सहित अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की दशा में 30 लाख रुपये (तीस लाख रुपये), इस बात को विचार में लाए बिना कि उनके कारबार का स्थान महानगरों में है या अन्यत्र ।

4. ऊपर प्रथम पैरा में निर्दिष्ट तारीख 16 मार्च, 1974, और 28 नवम्बर, 1974, की अधिसूचनाओं के सभी निबन्धन और शर्तें, इसमें यथा उपांतरित के सिवाय, पूर्णतया प्रवृत और प्रभावशील रहेंगी ।

ए० दास
संयुक्त सचिव,

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1976

संकल्प

सं० 19-11/75-एम० सी० (टी०)—झूम खेती के नियंत्रण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है । झूम खेती जीवन-निर्वाह की एक पद्धति है और यह पूरी तरह से आत्म-भरित अर्थ-व्यवस्था वाले स्थानीय सामुदायिक जीवन के अनुकूल है । कुल आवश्यकता के लिए सामान्य नियम के अनुसार उत्पादन की इस अवस्था की अपेक्षा उन्नत खेती (स्थिर कृषि) बहुत अधिक विशेषज्ञता प्राप्त काम है । विगत में झूम खेती करने वाले आदिवासियों के स्थायी बन्दोबस्त के लिए भूमि ब्साऊ योजनाओं के अन्तर्गत प्रयास किए गए थे । तथापि इन योजनाओं से पर्याप्त परिणाम नहीं निकले हैं ।

झूम खेती की विशेष किस्म की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इन योजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का फैसला किया है ।

इस बोर्ड के सदस्य नीचे लिखे व्यक्ति होंगे ।

1. सचिव (कृषि) कृषि और सिंचाई मंत्रालय	अध्यक्ष
2. वन महानिरीक्षक कृषि विभाग	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (भूमि) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य
4. आदिवासी कल्याण के इंचार्ज संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।	सदस्य
6. संयुक्त सचिव (ए० तथा आर० डी०) योजना आयोग	सदस्य
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
8. सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद, शिलांग	सदस्य
9. मेघालय, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा नागालैण्ड राज्यों के सचिव (कृषि/वन)	सदस्य
10. संयुक्त आयुक्त (एस० सी०-एफ०) कृषि विभाग	सदस्य-सचिव

2. बोर्ड के काम नीचे दिये गए है ।

(1) झूम खेती के बन्दोबस्त के लिए योजनाओं की आयोजना तथा उन्हें तैयार करने के काम की लगातार समीक्षा करना ।

(2) राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था करना ।

(3) इन योजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रशासनिक अड़चनें दूर करना और

(4) यह सुनिश्चित करना कि जिन क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है, उन पर यथोचित ध्यान दिया जाए ।

3. बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा अध्यक्ष के फैसले के अनुसार इसकी अधिक बैठकें भी हो सकती हैं ।

4. बोर्ड का अध्यक्ष झूम खेती की समस्या से संबंधित किसी भी व्यक्ति का इसकी बैठक में आमंत्रित कर सकता है ।

दिनांक 22 जून, 1976

सं० 19-1175-एस० सी० (टी०)—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों । विभागों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, झूम खेती बोर्ड के सभी सदस्यों, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एस० के० बनर्जी
संयुक्त सचिव,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1976

संकल्प

सं०-20-पी०जी०बी० (25)/73-पी०टी०—राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के पुर्नगठन के बारे में दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या 20-पी०जी०बी० (25)/73-पी०टी० में आंशिक संशोधन करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल के सलाहकार श्री आर० वी० सुब्रामणियन अब अपने कार्यालय की शेष अवधि के लिये तमिलनाडु की भूतपूर्व सरकार में निर्माण कार्य मंत्री के स्थान पर तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

के० शिवराज
संयुक्त सचिव,

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st July 1976

No. 48-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ashok Kumar Roy,
Sub-Inspector of Police,
Asansol, West Bengal.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the night of 25th October, 1974, a police party headed by Shri Ashok Kumar Roy raided a house in Ushagram in order to apprehend a criminal and his associates who were wanted by the Police. The culprits took refuse in a nearby lane and hurled bombs at the Police Party. In disregard of the bomb attacks, Shri Roy proceeded to apprehend the criminals. But another bomb was hurled on Shri Roy as a result of which he received injuries on his person. Shri Roy then fired from his service revolver and injured the criminal who attacked Shri Roy with a dagger. Shri Roy grappled with the criminal and ultimately arrested him with a live bomb and a dagger on his person.

Shri Ashok Kumar Roy thus exhibited conspicuous courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th October, 1974.

No. 49-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ved Prakash,
Sub-Inspector of Police,
Station Officer,
Police Station Sandhna,
Distt. Sitapur, Uttar Pradesh.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 3rd September, 1971, information was received about the presence of some notorious dacoits in village Inayatpur of district Sitapur. A police party led by Shri Ved Prakash, Sub-Inspector of Police was sent to apprehend the dacoits. When the police party was trying to enter the house where the dacoits were staying, the latter got suspicious of police presence and withdrew to the interior of the house under cover of fire. One dacoit was, however, arrested by the Police. Seeing two dacoits taking cover, Shri Ved Prakash climbed to the roof of the house and got a hole drilled in the roof of the room where the dacoits were hiding. Through this hole shots were fired which unnerved the dacoits and they came out of the room firing recklessly. Showing great courage and presence of mind, Shri Ved Prakash jumped from the roof into the courtyard for over-powering the dacoits. In the exchange of fire both the dacoits were shot dead.

In this encounter Shri Ved Prakash, displayed exemplary courage, leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd September, 1971.

No. 50-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Eastern Railway :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Deoraj Soren,
Rakshak No. 1947,
C & TE Coy., Eastern Railway,
Asansol.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 22nd June, 1975, Rakshak Deoraj Soren along with Rakshak Parma Singh was deputed to escort a train from Andal to Rampurhat. The train left Andal at 15.15 hrs but it had to be stopped soon due to disconnection of hose-pipe and dropping of vacuum by certain miscreants. When the train stopped Rakshak Deoraj Soren and Parma Singh got down and rushed towards the wagons loaded with coal. They noticed 10/15 miscreants on each side trying to take coal out of the wagon. They challenged the criminals. At this one section of the criminals attacked the Rakshaks and attempted to snatch away the musket from Shri Deoraj Soren. During the scuffle the miscreants managed to press the nozzle of the musket to the thigh of Rakshak Deoraj Soren and to inflict on him bullet injuries. Though injured, he fought gallantly and foiled the attempts of the assailants to seize the weapon, and was also able to kill one of them.

Shri Deoraj Soren thus displayed exemplary courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd June, 1975.

No. 51-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Sukhdev Singh,
Sub-Inspector No. 69/PR, (*Officiating*)
Punjab.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

On the 21st September, 1973 two miscreants enticed away a girl of 9 years and after committing rape on her, strangulated her to death. While police investigation was in progress, on the night of October 1/2, 1973, the father of one of them along with two others came in a car to the house of the deceased girl and started firing with a view to terrorise the relatives of the girl. On receiving information Sub-Inspector Sukhdev Singh reached the spot and challenged the miscreants. His warnings went unheeded and the miscreants opened fire on the police party also The miscreants were armed to the teeth. But Shri Sukhdev Singh, in utter disregard of his personal safety, crawled forward and took position behind the car. On seeing the Sub-Inspector approaching the father of the culprit fired at him. The Sub-Inspector also fired two shots in return, killing him on the spot. He was a notorious person wanted by the Police since 1954.

Shri Sukhdev Singh thus displayed exemplary courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd October, 1973.

K. BALACHANDRAN, Secy. to the President

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 22nd June 1976.

No. V. 11012/1/70-NSS.I (Vol.II).—In partial modification of the Department of Statistics' Notification No. V. 11012/1/70-NSS.II dated the 5th May 1972 and in supersession of Notification of even number dated the 22nd June 1974, the following are now appointed as Members of the Governing Council for governing the activities of the National Sample Survey Organisation for the period from 1st July 1976 to the 30th June 1978 :—

1. Dr. Y. K. Alagh, Adviser Perspective Planning, Planning Commission, Yojna Bhavan, New Delhi-110001.
2. Shri V. V Divatia, Statistical Adviser, Reserve Bank of India, New Delhi-110001.
3. Dr. K. B. L. Bhargava, Director, Directorate of Economics & Statistics, Government of Madhya Pradesh, Bhopal-462001.
4. Shri J N. Sarma, Director, Directorate of Economics & Statistics, Government of Assam, Gauhati 781003.
5. Dr. T. N. Srinivasan, Research Professor, Indian Statistical Institute, 7, SJS Sansanwal Marg, New Delhi-110057.
6. Dr. J. Roy, Research Professor, Indian Statistical Institute, 203, B. T. Road, Calcutta-700035.
7. Dr. I S. Gulati, Centre for Development Studies, Prasantha Hill, Askulam Road, Trivendrum-595011.
8. Dr. Raj Krishna, Agro-Economic Research Centre, University of Delhi, Delhi-110007.

R. N. SAXENA, Dy Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 22nd June 1976

RESOLUTION

No. P-20012/1/76-PPD.—The Oil Prices Committee (hereinafter referred to as the OPC) set up by the Government vide Government Resolution dated the 16th March, 1974 under the Chairmanship of Dr K. S. Krishnaswamy, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay, submitted in December, 1975 an interim report on dealers' commission on the sale of Motor Spirit, High Speed Diesel Oil, Kerosene and Light Diesel Oil. The Government of India have considered this

repo t and the decisions of the Government on the recommendations of the OPC are given below :

2 Dealer's Commission on Motor Spirit and High Speed Diesel Oil.

2.1 The OPC recommended that the rates of commission to the retail dealers may not be fixed on an ad valorem basis but should be specific, expressed in terms of rupees per KL. The dealer's commission should be determined in a manner that gives the dealers a reasonable return. The OPC considered that a uniform rate of commission for all retail outlets irrespective of the level of throughput would be detrimental to the interests of the low volume outlets and would, at the same time, give unintended profits to the high volume outlets. Therefore, the Committee recommended a sliding scale of commission assuming cash sales, for outlets of different throughput levels as follows :

Sales per annum (combined MS/HSD Sale)	Rs. per K. L.	
	M. S.	HSD
Upto 360 KLs	80	50
From 361 to 720 KLs	35	15
From 721/and above	25	10

2.2 In order to ensure uniformity in the selling prices of the two products at all retail outlets (of varying throughputs) in a given place the OPC has recommended a uniform total commission of Rs. 65/- per KL for MS and Rs. 40/- per KL for HSDO as against Rs. 41.80 and Rs. 17.60 per KL respectively in vogue since 1954/55.

2.3 To enable the oil companies to disburse the precise entitlement of the commission to the individual retail outlet dealer according to the sliding scale rates mentioned above, the OPC suggested that the total commission of Rs. 65/- per KL for MS could be split up into two elements, Rs. 42/- per KL as dealers' commission and Rs. 23/- per KL as "retail pump outlet surcharge". Similarly the total commission of Rs. 40/- per KL for HSDO could be split into Rs. 20/- per KL as dealers' commission and Rs. 20/- per KL as "retail pump outlet surcharge". Of these, the retail pump outlet surcharges of Rs. 23/- per KL for MS and Rs. 20/- per KL for HSDO would, in the first instance, be added to the net price of MS/HSDO at the oil companies depot and the proceeds credited by the oil companies to a separate fund. The other element viz., Rs. 42/- per KL for MS and Rs. 20/- per KL for HSDO would then be added on by the dealers and collected from the ultimate consumer and retained by the dealers. At the end of each month the precise entitlement of the dealer on the basis of the supplies made during the previous month (s) and the sliding scale rates mentioned in para 2.1 above would be calculated and the appropriate amount due to the dealer in relation to what is retained by him paid to him or collected from him as necessary and adjusted through the fund mentioned above.

The Government have accepted these recommendations.

3. With the revision in the rates of commission on MS and HSD, the levy of service charges by the retail outlet dealers should be discontinued. Therefore, there should not, in general, be any increase in the ultimate price charged to the consumer. The OPC has recommended that the selling prices of MS and HSD be controlled under the Essential Commodities Act of 1955.

The Government have not accepted the recommendation of the OPC to control the prices of MS/HSD under the Essential Commodities Act as bulk of the supplies of these products are through the nationalised oil companies and price discipline can be enforced by executive measures such as inspections, cutting off of supplies, cancellation of dealerships etc. The position could be reviewed after some time. Meanwhile directives are being issued to the State Government authorities, Union Territory Administrations and the oil companies that a close check on a continuing basis should be made to see that no increase in prices takes place.

To ensure strict compliance with the decisions of the Government, no retail outlet dealer shall sell, or buy, or exchange products with any other retail outlet dealer without the prior permission of the concerned oil company. For a proper accountal, it is necessary that the retail outlet dealers submit to the authorities concerned annual statement of the receipts of MS/HSD from the oil companies and the sales thereof for each retail outlet separately.

The Government desire that the scale of services, including working hours should be maintained as hitherto and services such as air and water, toilet facility, limited first aid, drinking water and cleaning of windscreen etc., should continue to be provided as hitherto by the retail outlet dealers free of charge.

4. The OPC has also made the following recommendations :

(i) The oil industry should examine the licence fee recovery in consultation with the dealers and evolve guidelines for determination of licence fees. In the meantime, licence fees for the existing dealers should be frozen at the existing levels at least for a period of two years (that is upto the end of December 1977), except for revisions in statutory levies and charges.

(ii) In the matter of security deposits there is no uniformity among the oil companies. The security deposit should in no case exceed Rs. 1000/- per outlet without lube bay and Rs. 1500/- per outlet with lube bay(s). Any amount in excess of these will be viewed as public deposit.

(iii) The gross margin on the sale of lube oils and greases is on the high side and needs to be reduced. A gross margin of Rs. 1200/- per KL on lubes and Rs. 1500/- per MT on greases will be adequate.

(iv) Regarding shrinking allowance, certain ad-hoc increases can be conceded until further details are worked out by the Oil Coordination Committee.

The Government have accepted the above recommendations.

5. *Commission on SKO and LDO*

The OPC has recommended certain norms and ceilings for determining the commission for agents/wholesalers/ retailers of SKO and LDO. The Government have accepted these recommendations. The norms and ceilings are being communicated to all the State Government authorities and Union Territory Administrations for their guidance in fixing the selling prices of SKO and LDO to the consumers at various locations at the earliest with a directive that the prices of SKO and LDO should not in any case be enhanced.

6. The decision contained herein in respect of commission on MS and HSDO shall come into force with effect from 1st July, 1976, and will remain in force until further orders.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAMASWAMI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 21st May 1976

RESOLUTION

SUBJECT : *Setting up of a High level Study Team to study the problems of Coir Industry.*

No. 25(30)/75-C&S.—In partial modification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Industrial Development) Resolution No. 25 (30)/75-C&S dated the 5th April 1976, the Government of India

have decided to appoint Shri J. Alexander, Chairman, Coir Board, Cochin, as Member and Shri V. Anand, Deputy Secretary, Deptt. of Industrial Development, Ministry of Industry & Civil Supplies as, Member-secretary in place of Shri J. Alexander, Chairman, Coir Board, as Member-secretary of the Study Team.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and that it be communicated to all.

The 10th June 1976

RESOLUTION

SUBJECT : *Setting up of a High Level Study Team to study the problems of Coir Industry.*

No. 25(3C)/75-C&S.—In partial modification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) Resolution No .25(30)/75-C&S dated the 5th April 1976, the Government of India have since appointed Shri J. Alexander, Chairman, Coir Board, Cochin, as Member and Shri V. Anand, Deputy Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry & Civil Supplies as Member-Secretary in place of Shri J. Alexander, Chairman, Coir Board, as Member-Secretary of the Study Team.

The Government of India have further decided to enlarge the membership of the Study Team on Coir Industry by including representatives from the State Governments of Karnataka and Tamil Nadu as follows :—

1. Shri K.S.N. Murthy, Commissioner and Secretary Industries, Government of Karnataka — *Member*
2. A senior Officer representing Government of Tamil Nadu. — *Member*

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and that it be communicated to all concerned.

V. ANAND, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION)

New Delhi, the 25th May 1976

No. O 17011/1/75-GOP.—Notification No. O 17011/2/73-GOP dated 16th March, 1974, read with Notification No. O 17011/2/73-GOP dated 28th November, 1974, published in Part-I, Section-I, of the Gazette of India dated the 27th March, 1974, and dated the 5th December, 1974, is modified/amplified to the following extent, which will take effect from the date of publication of this Notification.

2. In addition to the agreements in respect of secured advances to a wholsale or central consumer cooperative society or to a State Federation of Consumer Cooperatives or to the National Cooperative Consumers Federation, the Government of India will consider entering into agreements with any Apex/District Central Cooperative Bank, the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in respect of secured advances made by them, to the following institutions also :—

(a) All State level Cooperative Federations engaged in the business of consumer articles, irrespective of the fact whether they are registered as State Level Consumer Cooperative Federations or Marketing Cooperative Federations or Tribal Cooperative Federations or under any other nomenclature whatsoever, provided that their coverage under this Guarantee Scheme will be restricted to their working capital requirements for distribution of consumer articles alone.

(b) All Cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles, registered with whatsoever nomenclature, and having a sales turnover of at least Rs. 50 lakhs per annum, and in the case of such institutions in cooperatively underdeveloped States, having a minimum annual sales turnover of Rs. 25 lakhs.

3. The Central Government Guarantee will be available only in respect of secured loans and advances granted for specific periods before the 1st April, 1979, with the prior approval in writing of the Surety, against pledge or hypothecation of goods, which would book debts securities, investments and other moveable property, to wholesale or central consumer cooperative societies, State level Federations of Consumer Cooperatives, National Cooperative Consumers' Federation and all other institutions mentioned in para 2(a) & (b) above. The banks have to keep a margin of 10% only on such loans and advances. The liability under the Central Government's Guarantee in respect of any such loan or advance to any society will be limited to :—

(i) 25% of the amount of all guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the bank against the cooperative society on the date on which the notice of demand is issued by the bank in accordance with the terms of the agreement;

OR

(ii) Rs. 75 lakhs (Rupees Seventyfive lakhs) in the case of the National Cooperative Consumers' Federation, Rs. 50 lakhs (Rupees Fifty Lakhs) in the case of all States level Federations including cooperative institutions mentioned in the para 2(a), and Rs. 30 lakhs (Rupees Thirty lakhs) in the case of all other cooperative institutions, including those mentioned in para 2(b), irrespective of their place of business in metropolitan cities or elsewhere;

whichever amount is less.

4. All the terms and conditions of the Notification dated, 16th March, 1974, and 28th November, 1974, referred to in the first paragraph above shall, except as modified here, remain in full force and effect.

A. DAS, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 22nd June 1976

RESOLUTION

No. 19-11/75SC(T).—The question of Control of Shifting Cultivation has been under the consideration of the Government of India. Shifting Cultivation is a way of life and is an adaptation to the local community life to a completely self-contained economic system. Compared to this stage of generalised production of total requirement, the advance cultivation (settled agriculture) is a highly specialised affair. In the past, attempts were made under Land Colonisation schemes for permanent settlement of tribals who practise Shifting Cultivation. The schemes, however, have not shown adequate results.

In view of the very special nature of the problem of Shifting Cultivation, the Government of India have decided to constitute a Board to review planning and implementation of the schemes.

The Board will consist of the following :

1. Secretary (Agriculture), Ministry of Agriculture & Irrigation — Chairman
2. Inspector General of Forests, Department of Agriculture — Member
3. Joint Secretary (Lands) Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture). — Member
4. Joint Secretary in-charge of Tribal Welfare, Ministry of Home Affairs. — Member
5. Joint Secretary, Department of Rural Development — Member

6. Joint Secretary (A&RD), Planning Commission.	Member
7. Representative from I.C.A.R.	Member
8. Secretary, North Eastern Council, Shillong.	Member
9. Secretary (Agriculture/Forest), from States of Meghalaya, Assam, Tripura, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa and Nagaland.	Member
10. Joint Commissioner (SC-F), Department of Agriculture.	Member-Secretary

2. The functions of the Board will be as under :—

(i) To keep under constant review the planning and preparation of schemes for the settlement of shifting cultivation;

(ii) to arrange for the execution of these schemes through the agencies of the State Government;

(Iii) to remove the administrative bottlenecks hindering the progress of the scheme; and

(iv) to ensure that the areas where shifting cultivation is practised receive the attention they deserve.

3. The Board will meet at least once in a year and may meet as often as may be decided by the Chairman.

4. The Chairman of the Board may invite to its meeting any person associated with the problem of Shifting Cutivation.

S. K. BANERJEE, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 26th June 1976

RESOLUTION

No. 20-PGB(25)/73-PT.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 20-PGB (25)/73-PT, dated the 27th September, 1975 regarding reconstitution of the National Harbour Board, Shri R. V. Subramanian, Adviser to the Governor of Tamil Nadu will now represent Tamil Nadu State in place of Minister of Works in the former Government of Tamil Nadu for the remaining period of the term.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of Government of India and the State Governments concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976